

परिशिष्ट

## परिशिष्ट-1

### विद्यार्थियों के लिए प्रश्नावली

1. विद्यालय का नाम .....
2. विद्यार्थी का नाम .....
3. लिंग .....

#### निर्देश-

प्रस्तुत अध्ययन मौलिक कर्तव्यों के प्रति विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों में जागरूकता के बारे में है। प्राप्त जानकारी का उपयोग अनुसंधान कार्य में ही किया जायेगा तथा इसे गोपनीय रखा जायेगा। कृपया सभी प्रश्नों का उत्तर दें।

यद्यपि समय सीमा नहीं है फिर भी आप शीघ्रता से कार्य पूर्ण करने का प्रयत्न करें। कृपया प्रश्नानुसार उत्तर दीजिए। प्रश्नों पर अपने विचार व्यक्त कीजिए।

1. क्या आपको मौलिक कर्तव्यों की जानकारी है।

पूर्णतः  सामान्यतः  बिल्कुल नहीं

2. यदि हाँ तो आपको कौन-कौन से मौलिक कर्तव्यों की जानकारी है।

.....  
.....  
.....

3. मौलिक कर्तव्यों का हमारे जीवन में क्या महत्व है।

.....  
.....  
.....

4. मौलिक कर्तव्यों के प्रति लोगों में जागरूकता कैसे बढ़ायी जा सकती है।

.....  
.....  
.....

● संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य:-

1. संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, और राष्ट्रगान का आदर करें।
2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोय रखे और उनका पालन करें।
3. भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, और अक्षुण्ण बनाये रखे।
4. देश की रक्षा करें और आहवान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें।
5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेद-भावों से परेय हो ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध है।
6. हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करें।
7. प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन झील नदी और वन्य जीव है, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें।
8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें।
9. सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें।
10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की और बढ़ने का सतत् प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नयी ऊँचाईयों को छू सकें।
11. 2002 ई. में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया है। ये है प्रत्येक माता-पिता या संरक्षक अपनी संतान को या अपनी निगरानी में पल रहे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा संबंधी अवसर प्रदान करेंगे।